# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com | Phone/ Fax: 0135-2767611


पत्रांक– 1336 /FP/UK/ROAD/25934/2017 :देहरादून: दिनांक:29 नवम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

**विषयः–जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

**संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/619 दिनांक 03.07.2018।**

**महोदय,**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1248/12–1 (2) दिनांक 22.10.2022 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

<table>
<tr><th>शर्त संख्या</th><th>भारत सरकार द्वारा मांगी गयी सूचना</th><th>प्रतिउत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13. 880 है0 भूमि सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</td><td>वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि दिनांक 01.09.2018 को जमा की जा चुकी है, जिसकी Online Transaction Acknowledgement तथा online payment history संलग्न है।
<table>
<tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देयक धनराशि</th><th rowspan="2">योग</th></tr>
<tr><th>क्षतिपूरक वृक्षारोपण</th><th>एन0पी0वी0</th></tr>
<tr><td>XV</td><td>रीठा से कूण मोटर मार्ग स्टेज–1</td><td>चम्पावत</td><td>38,67,870.00</td><td>45,59,580.00</td><td>84,27,450.00</td></tr>
</table>
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी, चम्पावत के कार्यालय के पत्रांक 4743/सात–5 /व0भू0हस्ता0/2016–17/ दिनांक 14.08. 2018 को किया जा चुका है। संलग्नक–1,2 एवं 3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</td><td>वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वांछित एन0पी0वी0 धनराशि बिन्दु संख्या 01 के अनुसार जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–2)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनवद्धता प्रस्तुत की जाये।</td><td>वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में काई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यथा समय वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। एन0पी0वी0 की बचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधिया (CA cost NPV etc.) को वैब पोर्टल पर आनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आन लाईन वैंक में जमा की गई धनराशि सैद्धातिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी।</td><td>वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैक में जमा की गयी है। Online transaction Acknowledgement तथा Online Payment History संलग्न है। (संलग्नक–02 के अनुसार)</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 5 | सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वाचनबद्धता प्रेषित करनी होगी। | वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों Strip plantation का कार्य वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। Strip plantation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–5) |

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षण।

संख्या– 1336 / FP/UK/ROAD/25934/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1248 / 12–1 (2) दिनांक 22.10.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत)।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षण।